झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–72 / 2020

राजदीप कुमार साव .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री एच0के0 शिकरवार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: श्री शरदू महतो, ए0पी0पी0।

2 / 17.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, बड़कागांव थाना काण्ड संख्या 161 / 2019 के संबंध में एक अभियुक्त है।

यह आरोप लगाया गया है कि झारखण्ड कोलियरी श्रम संघ के कार्यालय में घाना मांझी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और जब वे कृष्णा के कपड़े की दुकान पर पहुँचे, मोटरसाईकिल पर बैठे दो व्यक्ति के द्वारा उस पर गोली चलाई गई जिससे अन्ततः उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता पंकज कुमार एवं निरंजन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर फंसाया गया है और उस निरंजन कुमार को इस न्यायालय के द्वारा बी0ए0 संख्या 10918 / 2019 में पहले ही जमानत प्रदान की जा

चुकी है। यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, हजारीबाग की संतुष्टि पर बड़कागांव थाना काण्ड संख्या 161/2019 के संबंध में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)